Dr. Archana Bharti, Guest Faculty
MJMC/SEM 1/Paper 101
Date- 28/04/2021

NORMATIVE THEORY OF MASS COMMUNICATION
जनसंचार के नियामक सिद्धांत

प्रत्येक देश और समाज में अपने–अपने ढंग का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक ढांचा होता है। मीडिया का स्वरूप और उसकी भूमिका, समाज और सरकार से उसका सम्बंध आदि इसी ढांचे पर निर्भर करता है। प्रत्येक समाज के कुछ निश्चित आदर्श/नियामक होते हैं। यह सिद्धांत उन नियामकों को ध्यान में रखता है। मास मीडिया समाज से ही उत्पन्न होता है और उसी समाज में ही काम करता है अतः यह समाज का ही एक अंग है।

उपरोक्त व्यवस्था को देखकर ही मीडिया का वर्गीकरण किया गया। किसी भी देश के मास मीडिया को समझने के लिए उस देश की आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था के अलावा उस देश की भौगोलिक परिस्थिति एवं जनसंख्या को भी समझना आवश्यक होता है। मास मीडिया का प्रसार इसके बिना संभव नहीं होता। विभिन्न प्रकार की सामाजिक–राजनीतिक स्थितियों में संचार माध्यमों का कैसा चरित्र और स्वरूप उभरकर सामने आता है, इसी संबंध में संचार विशेषज्ञों ने कुछ सामान्य नियम प्रतिपादित करने का प्रयास किया है।

प्रेस के चार सिद्धांतों का वर्णन **विल्बर श्रेम, फ्रेडरिक साइवर्ट एवं थियोडोर पेटर्सन** ने वर्ष **1956** में अपनी पुस्तक '**Four Theories of Press'** में किया है। इनके अनुसार प्रेस के चार प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित है जो इस प्रकार है–

1. प्रभुत्ववादी सिद्धांत **(Authoritarian Theory)**
2. उदारवादी सिद्धांत **(Libertarion Theory)**
3. सामाजिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत **(Social Responsibility Theory)**
4. साम्यवादी सिद्धांत **(Communist Theory)**

इसके अलावा दो अन्य महत्वपूर्ण नियामक सिद्धांत भी है जैसे– विकास मीडिया सिद्धांत **(Development media Theory)** और लोकतांत्रिक भागीदारी सिद्धांत **(Democratic-Participant Media Theory)**

इस सिद्धांतों का आधार यह है कि समाज में मीडिया के प्रति किस तरह के सिद्धांत मौजूद है या मीडिया को किस तरह के नियंत्रण और अपेक्षाओं के तहत कार्य करना पड़ता है।

1. प्रभुत्ववादी सिद्धांत (Authoritarian Theory)

प्रेस के सम्बंध में यह सिद्धांत बहुत पुराना है। निरंकुश राजसत्ताओं में यह सिद्धांत विभिन्न रूपों में प्रारंभ से ही मौजूद रहा है। निरंकुश शासन पद्धति में राजसत्ता को व्यक्ति से उपर का स्थान दिया जाता है। इस प्रकार राजा एवं प्रजा के बीच भेद उत्पन्न हो जाता था। जिसमें राजा ही कानून है। प्रारंभ से ही लोगों को वैसी ही सूचना दी जाती थी जो राजसत्ता के हितों के अनुकूल रहता था। इसमें राजसत्ता की शक्ति पर संदेह करना और उसे चुनौती देना प्रतिबंधित था। 15हवीं शताब्दी में प्रिंटिंग तकनीक का उद्‌भव एवं विकास तथा समाचार पत्रों के उदय के साथ ही नियम–कानून भी बनना शुरू हुआ। मुद्रण तकनीक का विकास होने के दौरान पूरी दुनिया में निरंकुश शासन ही कायम था। इस व्यवस्था में प्रेस से अपेक्षा की जाती थी कि वह राजसत्ता के विचार को फैलाए।

वर्ष 1953 में एफ. एस. साइबर्ट ने कहा कि मीडिया का काम 'सरकार की नीतियों को समर्थन देना और उसे आगे बढ़ाना है। प्रभुत्ववादी निरंकुश सत्ता ने प्रेस को अपने नियंत्रण में रखने के लिए कड़े प्रावधान किए। जिसमें लाइसेंस प्रणाली, सेंसरशिप, दंड, हस्तक्षेप जैसी नियंत्रण प्रणाली लागू हुई।

मीडिया पर निरंकुशता के निम्नलिखित सैद्धांतिक आधार है जिसमें बताया गया है कि सत्ता एवं राज्य का हित ही जनता का हित है, मीडिया मात्र शासक के हितों की पूर्ति करने वाला एक सहयोगी अंग है, मीडिया को स्थापित मूल्यों एवं मान्यताओं के विरूद्ध नहीं लिखना चाहिए आदि। प्रसिद्ध दार्शनिक हेगल ने कहा कि 'व्यक्ति क्या करें और क्या न करें' यह राज्य पर निर्भर करता है। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान भारत में प्रेस को अंग्रेजों के कठोर काले कानूनों का शिकार होना पड़ा था।

जारी.....